

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने स्पैम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मुद्दों पर संयुक्त विनियामक समिति की बैठक का आयोजन किया।

1600-सीरीज़ कॉल को अपनाने के लिए बड़ा प्रयास, 7 प्रमुख बैंकों के साथ डिजिटल सहमति पर पायलट

परियोजना जारी

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज नई दिल्ली में संयुक्त विनियामक समिति (JCoR) की एक बैठक आयोजित की जिसका उद्देश्य स्पैम, धोखाधड़ी और दूरसंचार अवसंरचना के दुरुपयोग के विरुद्ध समन्वित उपायों को आगे बढ़ाना था। इस बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के प्रतिनिधि भादूविप्रा मुख्यालय में एकत्रित हुए। इनके साथ ही दूरसंचार विभाग (DoT), गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अधिकारी भी मौजूद थे। विशेष रूप से डिजिटल भुगतान से जुड़ी बढ़ती धोखाधड़ी को ध्यान में रखते हुए, इस फोरम ने मुख्य रूप से सहयोगात्मक विनियामक उपायों को लागू करने पर ध्यान दिया।

मुख्य निष्कर्ष:

1. व्यावसायिक कॉल के लिए 1600-सीरीज़ में त्वरित स्थानांतरण

विनियामकों ने “बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्रों” (BFSI sectors) में लेन-देन और सेवा संबंधी कॉल्स के लिए समर्पित 1600-सीरीज़ में स्थानांतरण के लिए समय-सीमा निर्धारण करने पर विचार-विमर्श किया। विभिन्न संस्थाओं के संचालन के स्तरों को ध्यान में रखते हुए यह सहमति बनी कि सेक्टरल विनियामकों द्वारा भादूविप्रा को प्रदान किए गए इनपुट्स के आधार पर यह स्थानांतरण चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

2. डिजिटल सहमति अधिग्रहण (DCA) पायलट परियोजना लांच की गई

एक महत्वपूर्ण पायलट परियोजना चल रही है, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक संचार पर उपभोक्ताओं का नियंत्रण बढ़ाना है। इसके तहत अप्रमाणित और ऑफ़लाइन सहमतियों के स्थान पर सुरक्षित डिजिटल सहमति अवसंरचना को स्थान दिया जाएगा। यह नई व्यवस्था उपभोक्ताओं को सरल, एकीकृत और छेड़छाड़-रोधी इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल रूप से अपनी सहमतियाँ दर्ज करने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें वापस लेने की सुविधा देगी। इस पायलट परियोजना का समन्वय भादूविप्रा और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा किया जा रहा है, और इसमें दूरसंचार सेवा प्रदाता तथा प्रमुख बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक - शामिल हैं। पायलट परियोजना के तकनीकी, परिचालन और जन-जागरूकता से जुड़े पहलुओं की निगरानी के लिए चार समर्पित कार्य समूह गठित किए गए हैं। संयुक्त विनियामक समिति (JCoR) की बैठक से पहले, 21 जुलाई 2025 को भादूविप्रा और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल कंसेंट अधिग्रहण (DCA) पायलट परियोजना पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 8 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और 7 बैंकों— एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक—ने भाग लिया। कार्यशाला में डिजिटल सहमति प्राप्ति

से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ, और सभी प्रतिभागियों ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर निरंतर रूप से कार्य करने पर सहमति जताई।

3. दूरसंचार-आधारित धोखाधड़ी के विरुद्ध नए प्रवर्तन उपकरण

समिति ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), दूरसंचार विभाग (DoT) के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, और एक्सेस प्रदाताओं द्वारा संचालित डीएलटी (DLT) प्लेटफॉर्म के बीच स्पैम और साइबर धोखाधड़ी से संबंधित डेटा के स्वचालित आदान-प्रदान की आवश्यकता पर चर्चा की। इस डेटा साझाकरण व्यवस्था से धोखाधड़ी में लिप्त लोगों के दूरसंचार संसाधनों के विरुद्ध तेज़ी से कार्रवाई करना—जैसे कि मोबाइल नंबर को डिस्कनेक्ट करना— संभव होगा, जिससे आगे होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।

4. एंटरप्राइज लाइनों के दुरुपयोग को रोकना

समिति ने बल्क स्पैम भेजने के लिए एसआईपी और पीआरआई दूरसंचार लाइनों के दुरुपयोग को गंभीरता से चिन्हित किया है। इस मुद्दे से निपटने के लिए जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, उनमें इन लाइनों के नंबरों को एक निर्दिष्ट नंबर रेंज से जारी करना और उनका जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करना शामिल है।

5. एसएमएस हेडर्स की जानकारी के लिए नया पोर्टल

भादूविप्रा ने अपने एसएमएस हेडर पोर्टल अर्थात् smsheader.trai.gov.in को नए रूप में तैयार किया है, जिससे उपभोक्ताओं को यह जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी कि किसी विशेष एसएमएस हेडर का उपयोग कर व्यावसायिक संदेश भेजने वाली संस्था कौन हैं। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शिता और नियंत्रण प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

6. एनपीसीआई रणनीतिक हितधारक के रूप में शामिल

मोबाइल लेन-देन और UPI प्लेटफॉर्म से जुड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि को देखते हुए, एनपीसीआई को एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इससे संयुक्त विनियामक समिति (JCoR) के अधिदेश में एक महत्वपूर्ण भुगतान-आधारित दृष्टिकोण जुड़ता है।

भादूविप्रा अध्यक्ष का उद्घरण

भादूविप्रा अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने कहा, "तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में, सेवाओं के समन्वित सक्षमीकरण और उपभोक्ताओं को नुकसान से सुरक्षा के लिए विनियामकों के बीच क्रॉस सेक्टरल सहयोग अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल-प्रथम अर्थव्यवस्था में, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, डिजिटल संचार विनियामकों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग सर्वोपरि हो जाता है। भादूविप्रा विश्वसनीय और सुरक्षित संचार वातावरण बनाने में जेसीओआर (JCoR) के माध्यम से तेजी से दिए जा रहे सहयोग की सराहना करता है।"

उन्होंने दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI) की भी सराहना की, जो वित्तीय घोटालों से जुड़े नंबरों को लेबल करता है। अध्यक्ष ने दोहराया कि ऐसे व्यावहारिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है जो स्पैम और धोखाधड़ी को हतोत्साहित करें, लेकिन साथ ही वैध व्यवसायों पर अनावश्यक बोझ न डालें। उन्होंने क्षेत्रीय विनियामकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन उपायों को तेजी से लागू करें और इनकी प्रगति पर बारीकी से निगरानी रखें।

(शिव भद्र सिंह)

सचिव, भादूविप्रा (प्रभारी)

www.trai.gov.in